राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/06/2026 को पेश हो।	
08/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम आसपुरा तहसील कोटपूतली हाल खसरा नम्बर 201/0,19 है. का प्रार्थी संख्या 01 व खसरा नम्बर 200/0,72 है. के हिस्सा 1/44 का प्रार्थी संख्या 02 खातेदार काश्तकार है तथा खसरा अभिसम्बर 198/0,19 है. व 199/0,21 है. वाके मौजा आसपुरा तहसील कोटपूतली के अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 23 खातेदार काश्तकार हैं। यह है कि खातेदार कोयली पत्नी श्यामलाल फौत हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण 14 लगायत 10 व सेडु पुत्र शंकर फौत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण 14 लगायत 22 हैं। हाल खसरा नम्बर 210/0,49 व 200/0,72 स्थित है तथा हाल खसरा नम्बर 199 के उत्तर में 198/0,19 है. व 199/0,21 के उत्तर में रघुनाथपुरा से भैंसलाना रोड है। प्रार्थी की भूमि व रोड के बीच में खसरा नम्बर 198 व 199 की भूमि लगती है। हाल खसरा नम्बर 201/0,49 व 200/0.72 से डामरीकृत सड़क तक कृषि कार्यों के लिए पहुँच के लिए एकमात्र सबसे छोटा मार्ग खसरा नम्बर 198/0.21 की पश्चिमी सीमा से होता है जो खसरा नम्बर 77 व 78 की सीमा से लगता हुआ है जिसे प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसे आगे वांछित रास्ता कहा गया है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर वर्तमान में खेती-बाड़ी का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने के लिये वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई इससे छोटा रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकता है यानि प्रार्थीगण के लिए सबसे छोटा यही एकमात्र रास्ता है अन्य कोई रास्ता नहीं है परन्तु अप्रार्थी प्रार्थगण की भूमि तक पहुँच के लिए घरेलू स्तर पर समझाईश के तौर पर रास्ता देने को तैयार नहीं है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 23 से अनेकों ार निवेदन किया कि वांछित रास्ते को सिवाईचक रास्ता भूमि दर्ज करवाकर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाये परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 जगायत 23 मानने को तैयार ही नही हैं। प्रार्थीगण के लिए वांछित रास्ता विलासितापूर्ण उपयोग-उपभोग के लिए ना होकर आवश्यकता	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	803/2024	

जनित है इस रास्ते का अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि तक कृषि कार्यों हेतु ट्रेक्टर आदि नही ले जा सकते हैं उन्हे इस रास्ते की महती आवश्यकता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 लगायात 23 बिना अदालती आदेश के रास्ता देने को तैयार नहीं है इसलिए अदालत श्रीमान की शरण में आना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 23 को उनके हिस्से की भूमि के अनुसार धारा 251 ए की वैधानिकता के अनुसार भुगतान करने को तैयार हैं तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते की भूमि जो खसरा नम्बर 198 व 199 की पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 04 मीटर की चौडाई मे है, को राजस्व नक्शे में गैर मुमकिन रासकी की भूमि के रूप में दर्शाकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 23 को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एंव उत्सायोचित है कि इस रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण ना करें और प्रार्थना पत्र के अन्त में अनुतोष चाहा गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थित ग्राम आसपुरा तहसील कोटपूतली हाल खसरा नम्बर 198/0.19, 199/0.21 पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 4 मीटर चौडाई का लाल स्याही से संलग्न नक्शे में जो वांछित रास्ता दर्शाया गया है उसे अप्रार्थी संख्या 23 को गैर मुमकिन सिवाईचक रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जावे तथा अप्रार्थी 01 लगायत 23 को पाबन्द फरमाया जावें कि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण ना करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 28/08/2024 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से रिपोर्ट प्राप्त कर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामावतार बनाम प्रभु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	803/2024	

वैकल्पिक रास्ता नही होना स्पष्ट होने पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से नवीन रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | विधि अनुसार भी प्रत्येक काश्तकार को उसकी कृषि जोत पर उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/08/2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |